(38)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**
**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 2497–पीबीआर/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–11–2001 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 328/अपील/2000–01.

.....

प्रेमनारायण पुत्र हरबगस किरार
निवासी ग्राम परेबा तहसील राधौगढ़
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मोहनसिंह पुत्र हजारीलाल किरार
2–पर्वतसिंह पुत्र श्री कालूराम किरार
3–मथुरा लाल पुत्र श्री सीताराम किरार
समस्त निवासीगण ग्राम परेवा तहसील राधौगढ़
जिला गुना म.प्र.

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक– आवेदक
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक– अनावेदकगण

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांकः 11/5/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार मकसूदनगढ़ जिला गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम परेबा स्थित भूमि सर्वे कमांक 169/1/1 रकबा 0.627 हेक्टेयर पर उनका कब्जा है, अतः कब्जा इंद्राज किया जावे । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–6–अ/1997–98 दर्ज कर दिनांक 30–7–1998 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–5–2001 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–11–2001 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों का आवेदक भूमिस्वामी है और कभी भी अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण का कब्जा दर्ज करने का आदेश देने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि किये जाने क़ा आदेश नहीं दिया जा सकता है । इस कारण भी नायब तहसीलदार का आदेश अधिकारिता रहित आदेश है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा होना सिद्ध नहीं किया गया है । तहसीलदार के समक्ष उसके द्वारा कभी भी यह स्वीकार नहीं किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा है और मात्र स्वीकार करने से बिना किसी वैध दस्तावेज के संपत्ति अंतरण नहीं हो सकती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस

संबंध में विधि का सुस्थपित सिद्धांत है कि संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कब्जे की प्रविष्टि नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदकगण का कब्जा है जिसे तहसील न्यायालय द्वारा साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा दर्ज करने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा दर्ज किया गया है, जबकि कब्जा दर्ज करने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर